कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 43/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 31.01.2026

प्रेस–विज्ञप्ति

थाना– सिधारी, जनपद– आजमगढ़

साइबर फ्राड का ₹28,000/- पीड़ित को वापस कराया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण—

आवेदक श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र शिवचन्द राम, निवासी खोजापुर चकडीह, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ द्वारा ऑनलाइन वीजा के लिए आवेदन किया गया था। इसी दौरान एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल कर स्वयं को वीजा प्रदाता बताते हुए 1–2 माह में कनाडा वीजा उपलब्ध कराने का झांसा दिया गया। आवेदक द्वारा विश्वास कर ऑनलाइन माध्यम से धनराशि भेज दी गई।

बाद में ठगी का आभास होने पर आवेदक द्वारा साइबर शिकायत संख्या **2311xxxxxxx** दर्ज कराई गई, जो थाना सिधारी पर प्राप्त हुई।

शिकायत पर थाना सिधारी की साइबर टीम द्वारा साइबर सेल आजमगढ़ से तकनीकी सहयोग लेते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की गई, जिसके परिणामस्वरूप नियमानुसार कार्यवाही करते हुए **₹28,000/- (अट्ठाईस हजार रुपये)** की धनराशि पीड़ित के खाते में सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

जनसामान्य से अपील—

आवेदक को साइबर अपराधों से सतर्क रहने हेतु जागरूक किया गया कि किसी भी अज्ञात कॉल/मैसेज पर अपनी निजी जानकारी अथवा ओटीपी साझा न करें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930**, वेबसाइट www.cybercrime.gov.in अथवा अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन स्थित साइबर हेल्प डेस्क पर संपर्क करें।

पुलिस टीम—

1. उ0नि0 नीतीश सिंह
2. का0 महेश कुमार
3. का0 पवन गुप्ता
4. म0आ0 रीना यादव

साइबर टीम, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

प्रेस–नोट

थाना– निजामाबाद, जनपद– आजमगढ़

चोरी गई मोबाइल टावर की बैट्री के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक **13.01.2026** को वादी श्री संजीव यादव पुत्र देवनारायण यादव, निवासी ग्राम कारवभार, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि वह निजामाबाद क्षेत्र में इण्डस कम्पनी में टेक्नीशियन पद पर कार्यरत हैं। दिनांक **12.01.2026** की सुबह गौसपुर साइट पर पहुंचने पर पाया गया कि सेल्टर का ताला तोड़कर उसमें लगी ऐमरान कम्पनी की **02 अदद मोबाइल टावर बैट्री (200 AH)** अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर ली गई है।

उक्त संबंध में थाना निजामाबाद पर **मु0अ0सं0 14/26 धारा 303(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

2. गिरफ्तारी का विवरण—

आज दिनांक **31.01.2026** को उ0नि0 चन्द्रजीत यादव व उ0नि0 दिलीप आनन्द मय पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वांछित अभियुक्त की तलाश के दौरान **सेण्टरवा मोड़, असनी पुल से आगे रोड के पास ढाल के निकट** मुखबिर की सूचना पर दो व्यक्तियों को पकड़ा गया।

पूछताछ में प्रथम व्यक्ति ने अपना नाम **दुलार चन्द कुमार पुत्र अवधेश चौहान**, निवासी मंगर चक, थाना एण्टी पीसी

बाढ़, जिला पटना (बिहार), उम्र लगभग 20 वर्ष बताया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम **सूरज यादव पुत्र रामअवतार यादव**, निवासी जमीनवारी, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र 23 वर्ष बताया।
जामा तलाशी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से **चोरी की गई 02 अदद मोबाइल टावर बैट्री** बरामद की गई। अभियुक्तों को समय करीब **10:35 बजे** पुलिस हिरासत में लिया गया। बाद में नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा गया।
3. पंजीकृत अभियोग—
मु0अ0सं0 **14/26**, धारा **305ए, 317(2) बीएनएस**, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
4. गिरफ्तार अभियुक्त—

1. दुलार चन्द कुमार पुत्र अवधेश चौहान, निवासी मंगर चक, थाना एण्टी पीसी बाढ़, जिला पटना (बिहार), उम्र लगभग 20 वर्ष
2. सूरज यादव पुत्र रामअवतार यादव, निवासी जमीनवारी, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र 23 वर्ष

5. बरामदगी—
02 अदद मोबाइल टावर बैट्री
6. गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 चन्द्रजीत यादव
2. उ0नि0 दिलीप आनन्द
3. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव
4. का0 अवधेश सिंह
5. का0 संजय पाण्डेय
6. का0 सुशील राम
7. हे0का0 जगदीश सोनकर
8. हे0का0 अखिलेख सिंह थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

प्रेस–विज्ञप्ति

थाना– निजामाबाद, जनपद– आजमगढ़

आपसी विवाद में जानलेवा हमला, सरकारी कार्य में बाधा एवं शांति व्यवस्था भंग करने के अभियोग में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण—
दिनांक **23.01.2026** को थाना निजामाबाद के उ0नि0 चन्द्रजीत यादव द्वारा दिनांक **08.01.2026** को प्रातः लगभग **09:00 बजे** ग्राम **बारीखास** में घटित मारपीट एवं एक-दूसरे पर जानलेवा हमले की घटना की जांच की गई।
जांच में पाया गया कि प्रथम पक्ष—

1. विमला देवी पत्नी स्व0 हरेन्द्र चौहान
2. विनीता देवी पत्नी हरेन्द्र चौहान

तथा द्वितीय पक्ष—सरिता देवी पत्नी जगदीश चौहान व गोविन्द पुत्र भगेलू चौहान

निवासीगण ग्राम बारीखास, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ के मध्य नल से पानी लेते समय पानी गिरने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद के दौरान दोनों पक्षों द्वारा गाली-गलौज करते हुए **जान से मारने की नीयत से बांस के डंडे से एक-दूसरे के सिर पर प्रहार कर घायल** किया गया।
सूचना पर मौके पर पहुंचे बीट आरक्षी अनिल गुप्ता द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, किन्तु दोनों पक्ष और अधिक उग्र हो गए तथा **सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए शांति व्यवस्था भंग** की गई एवं एक-दूसरे को जान से मारने की धमकी दी गई।

उक्त संबंध में थाना निजामाबाद पर **मु0अ0सं0 25/26 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3), 221 बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

2. गिरफ्तारी का विवरण—
आज दिनांक **31.01.2026** को उ0नि0 लाला राम मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमे में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु ग्राम बारीखास में दबिश दी गई, जहां अभियुक्तगण—

1. विमला देवी पत्नी स्व0 हरेन्द्र चौहान, उम्र लगभग 55 वर्ष
2. विनीता देवी पत्नी हरेन्द्र चौहान, उम्र लगभग 28 वर्ष
3. सरिता देवी पत्नी जगदीश चौहान, उम्र लगभग 34 वर्ष

निवासीगण ग्राम बारीखास, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद मिलीं। अभियुक्ताओं को उनके अपराध से अवगत कराते हुए **समय 18:39 बजे** महिला पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।
गिरफ्तार अभियुक्ताओं को नियमानुसार माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

3. पंजीकृत अभियोग—
मु0अ0सं0 **25/26**, धारा **109(1), 115(2), 352, 351(3), 221 बीएनएस**, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

4. गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. विमला देवी पत्नी स्व0 हरेन्द्र चौहान, उम्र लगभग 55 वर्ष
2. विनीता देवी पत्नी हरेन्द्र चौहान, उम्र लगभग 28 वर्ष
3. सरिता देवी पत्नी जगदीश चौहान, उम्र लगभग 34 वर्ष
   (निवासीगण ग्राम बारीखास, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़)

5. बरामदगी—
02 अदद आला-ए-जुर्म (बांस के डंडे)

6. गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 लाला राम
2. उ0नि0 दिलीप आनन्द
3. का0 संजय पाण्डेय
4. का0 अवधेश सिंह
5. म0का0 आकांक्षा तिवारी
6. म0का0 सुमन गौड

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

प्रेस–विज्ञप्ति

दिनांक – 31.01.2026

जनपद आज़मगढ़ से कुल 02 उप-निरीक्षक सेवानिवृत्त

➡ आज दिनांक **31.01.2026** को जनपद आज़मगढ़ पुलिस से **01 उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस** एवं **01 उप-निरीक्षक (लेखा)** सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर पुलिस लाइन्स, आज़मगढ़ में एक गरिमामय **विदाई समारोह** का आयोजन किया गया।

➡ कार्यक्रम में ***अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) चिराग जैन*** द्वारा सेवानिवृत्त दोनो उप-निरीक्षकों को सम्मानपूर्वक मिठाई खिलाकर, गले में पुष्पमाला पहनाकर तथा **स्मृति-चिह्न (मोमेन्टो)** प्रदान कर भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर सेवानिवृत्त हुए सभी पुलिस कार्मिकों के **उज्ज्वल, स्वस्थ एवं सुखद भविष्य** की कामना की गई। उक्त कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी व अन्य अधिकारी/कर्मचारी गण उपस्थित रहें।

➡ **सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकों का विवरण**—

1. उप-निरीक्षक **अवधेश उपाध्याय** – जनपद आज़मगढ़
2. उप-निरीक्षक (लेखा) **मोहन कुमार श्रीवास्तव** – जनपद आज़मगढ़

प्रेस–विज्ञप्ति

थाना– कप्तानगंज, जनपद– आजमगढ़

दिनांक– 31.01.2026

दुकान में सेंध लगाकर चोरी करने वाले 02 वांछित अभियुक्त चोरी के सामान व कुल ₹6,450/- नगद के साथ गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त पूर्व विवरण—

दिनांक ***30.01.2026*** को वादी श्री ***रिंकू यादव*** पुत्र चन्द्रधारी यादव, निवासी ग्राम नेवादा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक ***29.01.2026*** को रात्रि लगभग ***23:00 बजे*** अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी दुकान में सेंध काटकर दुकान के अंदर से ***₹18,500/- नगद,*** लगभग ***22 लीटर सरसों का तेल*** एवं अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया गया। उक्त संबंध में थाना कप्तानगंज पर ***मु0अ0सं0 37/2026 धारा 331(2)/305 बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध*** पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान अभियुक्तों—

1. ***चन्द्रशेखर पुत्र शिवनाथ,*** निवासी ग्राम चौबेपुर परसमनपुर, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़
2. ***सुनील पुत्र सूर्यभान,*** निवासी ग्राम नेवादा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में ***धारा 317(2) बीएनएस*** की वृद्धि की गई।

गिरफ्तारी का विवरण—

दिनांक ***31.01.2026*** को उ0नि0 ***अमन तिवारी*** मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तों ***चन्द्रशेखर पुत्र शिवनाथ,*** निवासी ग्राम चौबेपुर परसमनपुर, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ 02. ***सुनील पुत्र सूर्यभान,*** निवासी ग्राम नेवादा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ को ***गोपलापुर**

पुलिया के पास से समय लगभग 04:30 बजे* गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0 ***37/2026**, धारा **331(2)/305/317(2) बीएनएस**,* थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता—

1. चन्द्रशेखर पुत्र शिवनाथ, निवासी ग्राम चौबेपुर परसमनपुर, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़
2. सुनील पुत्र सूर्यभान, निवासी ग्राम नेवादा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़

बरामदगी—

• 01 लीटर की 06 बोतल बैल कोल्हू तेल
• 500 ग्राम की 10 बोतल बैल कोल्हू तेल
• 500 ग्राम के 06 पैकेट व्हील सर्फ
• ₹1/- पाउच वाले 10 पत्ते क्लिनिक प्लस शैम्पू
• ₹6,450/- नगद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

01. उ0नि0 अमन तिवारी **थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़**
02. का0 विपिन कुमार पाण्डेय **थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़**
03. का0 इरफान अली **थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़**
04. का0 रविन्द्र यादव **थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़**